

राजस्थान सरकार  
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प:-6(25)राज-6 / 2015 / 31

जयपुर, दिनांक:- २५-०४-१८

—: अधिसूचना :—

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम सं. 15 वर्ष 1956) की धारा 260 की उप धारा (1) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, तथा लोकोपयोगी प्रयोजन के अन्य भवनों के निर्माण हेतु अनाधिवासित सरकारी कृषि भूमियों के आवंटन के संबंध में जारी इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 5(109) राजस्व-ब/60 दिनांक 20.7.1963 के खण्ड 1 के द्वितीय परन्तुक में वर्णित किसी की भूमियों (माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित भूमियों को छोड़कर) का आवंटन केवल राजकीय विभागों को उक्त आदेश के खण्ड 4 में वर्णित आवंटन प्राधिकारी द्वारा खण्ड 2 में निर्धारित आवंटित किये जा सकने वाले अधिकतम क्षेत्र तक उक्त आदेश व संबंधित नियमों के अध्याधीन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना दिनांक 30.06.2018 तक किया जा सकेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(रामनिवास जाट)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री राजस्व राजस्व विभाग (स्वतंत्र प्रभाव)
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. निदेशक, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान अजमेर।
9. आयुक्त, उपनिवेशवाला विभाग, बीकानेर।
10. सूचना जनसम्पर्क निदेशालय जपुर।
11. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र के विशेषांक दिनांक २५-४-१८ में प्रकाशन हेतु।
12. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव